तारः जलयन्ता खीरी

फोन नं० 263262 (कार्या.)

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

ग्राम- भन्सरिया, पो०-उदयपुर, लखीमपुर-खीरी (उ०प्र०) 262701

पत्रांक 1958 / M-48 / 73 दिनांक-04 /05/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषयः– **दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 03.06.2026 को प्रकाशित खबर ''दिलावरपुर में जल जीवन मिशन की टंकी बनी शोपीसःदो साल से 10 हजार आबादी को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल'' के सम्बन्ध में आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 03.06.2026 को प्रकाशित खबर ''दिलावरपुर में जल जीवन मिशन की टंकी बनी शोपीसःदो साल से 10 हजार आबादी को नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल'', के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के कुल 1692 राजस्व ग्रामों में से 139 राजस्व ग्राम पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं। शेष 1553 राजस्व ग्रामों को पेयजल आपूर्ति जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत मेसर्स एन0सी0सी0 एवं वी0टी0एल0 को सूचीबद्ध किया गया है। 904 नग पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1553 नग राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना लक्षित है। नलकूप–942 नग, पम्प हाउस –942 नग, वितरण प्रणाली 11534 किमी0, शिरोपरि जलाशय–922 नग, गृह जल संयोजन–564407 नग प्रस्तावित है प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष नलकूप–939 नग, पम्पहाउस–869 नग, वितरण प्रणाली 11519 किमी0, शिरोपरि जलाशय–484 नग, गृह जल संयोजन–535515 नग, कार्य पूर्ण है। जनपद में 1110 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

समाचार पत्र की खबर विकास खण्ड–मोहम्मदी की दिलावरपुर पेयजल योजना से सम्बन्धित है। खबर का संज्ञान लेकर जू0इं0 द्वारा एजेन्सी एन0सी0सी0 लि0, के साथ योजना का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि दिलावरपुर पेयजल योजना में सोलर वॉयर चोरी हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है जिसे पुनः बहाल करने हेतु एजेन्सी एन0सी0सी0 लि0, को निर्देशित कर दिया गया है। एक सप्ताह में कार्य कराकर जलापूर्ति पुनः संचालित की जाएगी।

(फोटोग्राफ्स)

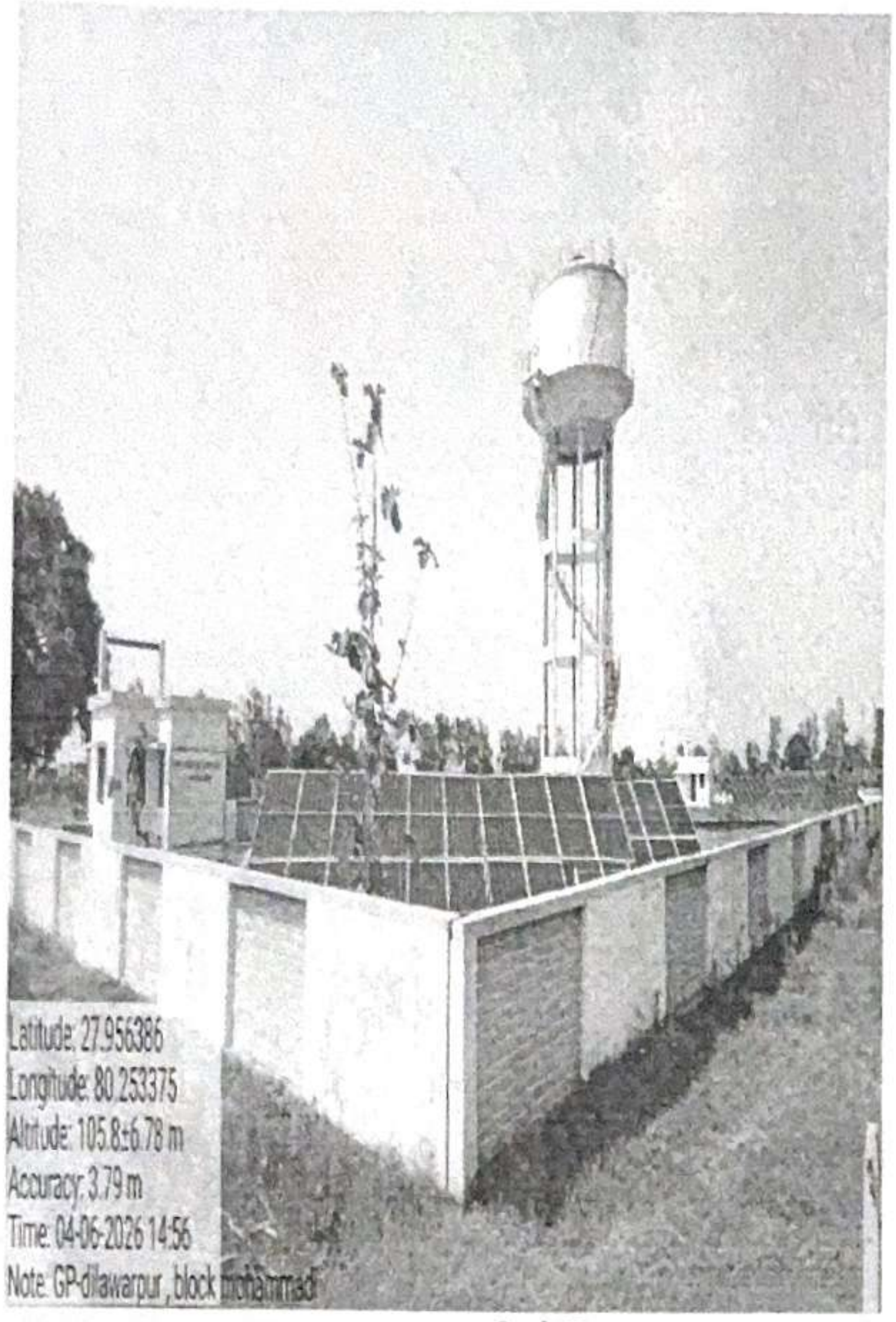

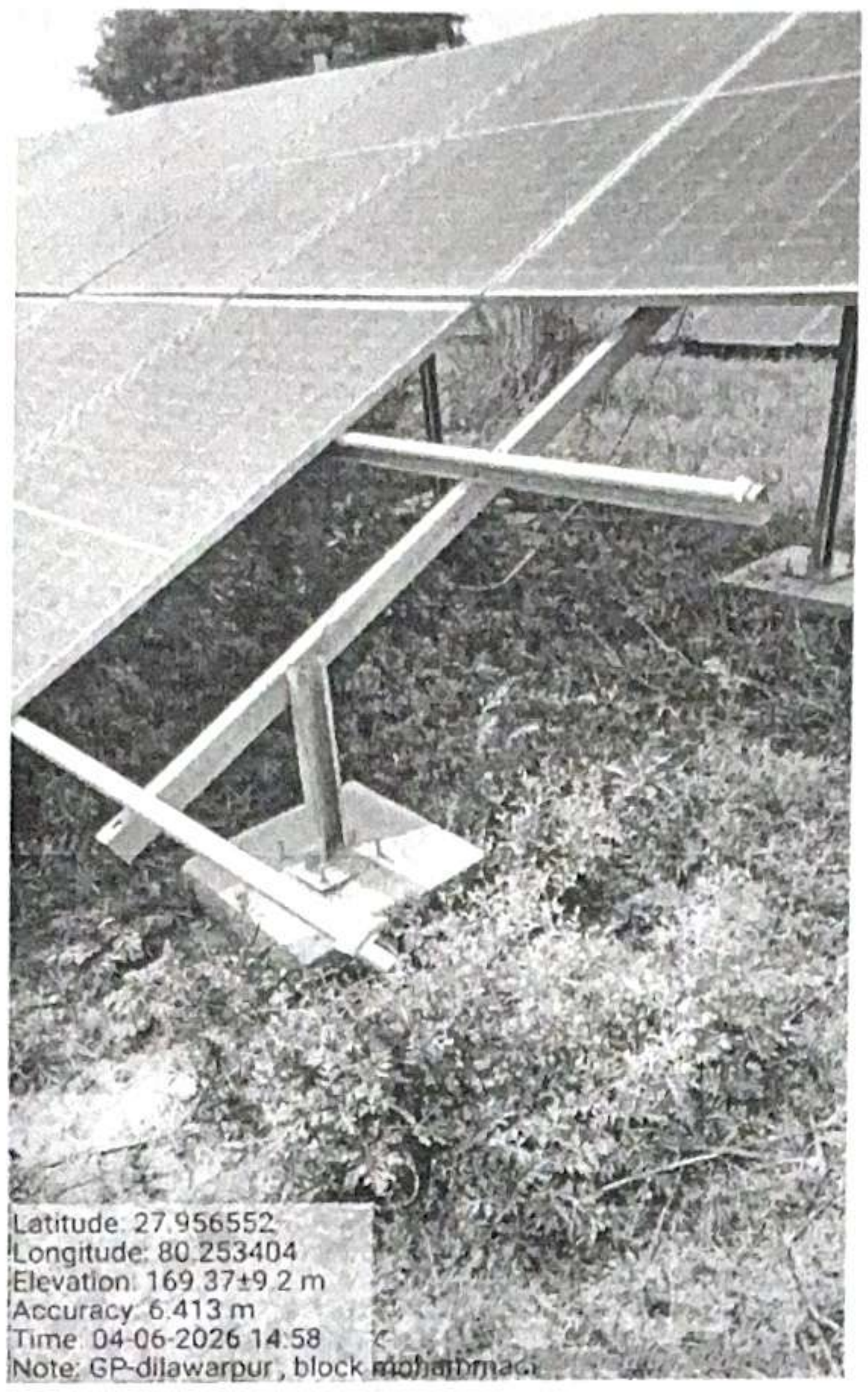

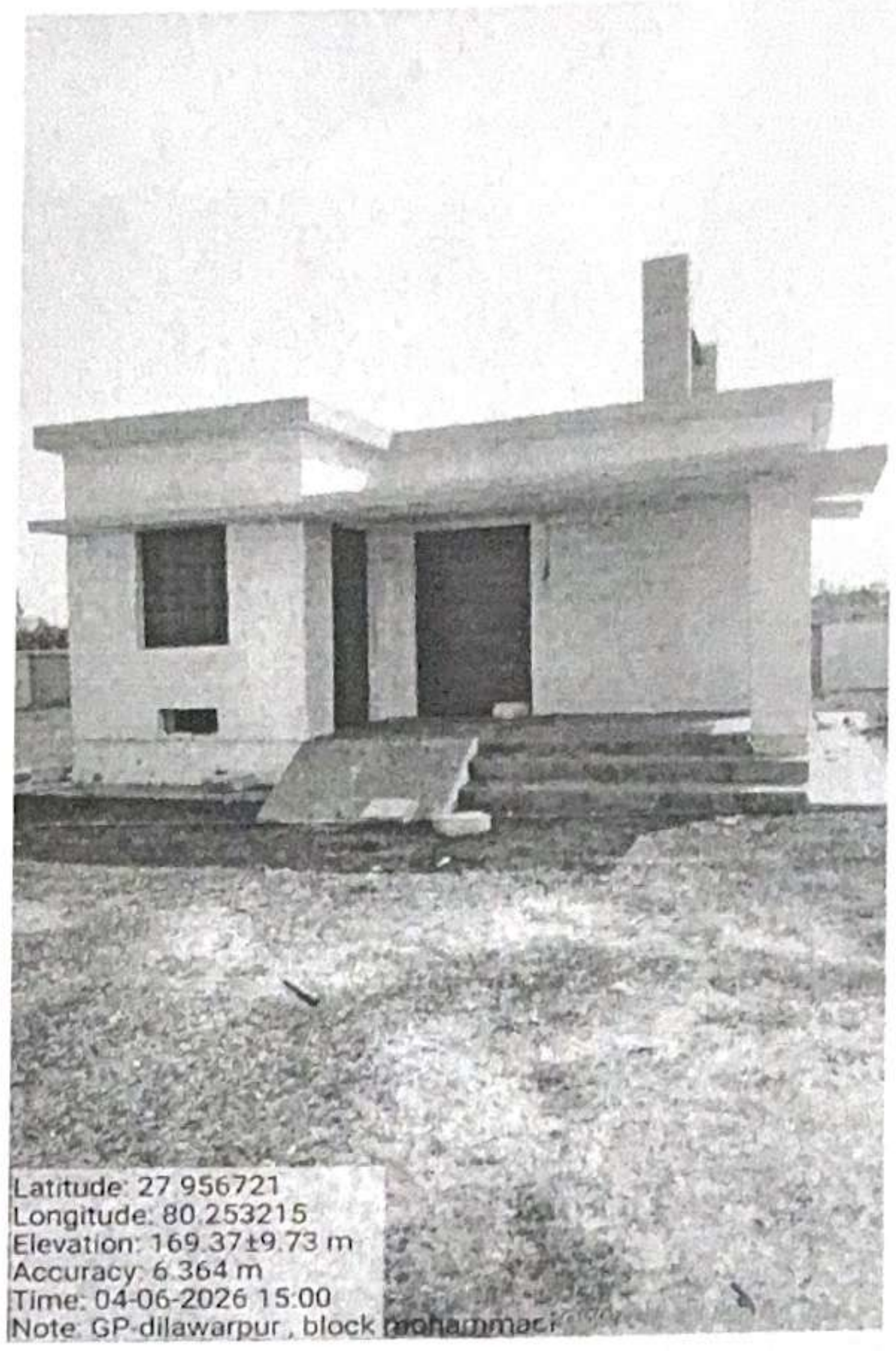

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- मो0 जमाल, (डी0पी0एम0) एन0सी0सी0 लि0, लखीमपुर खीरी।

2- गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता।